सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला

(बर्मामाइंस, जमशेदपुर, झारखंड-831007)

वेबसाइट-https://www.nml.res.in

हेल्पलाइन: फ़ोन: 0657-2345158

ईमेल:recruitment2025@admn.nml.in

विज्ञापन संख्या: 01/2026

दिनांक: 27.11.2026

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत	दिनांक: 15.12.2026 (10:00 बजे)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक: 08.01.2027 (शाम 5:00 बजे)

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला, सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), धातुकर्म और सामग्री अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए समर्पित एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। आधुनिक और व्यापक अवसंरचना तथा अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव संसाधन की विशेषज्ञता के वृहत् दायरे के साथ, सीएसआईआर-एनएमएल मुख्य रूप से औद्योगिक महत्व के अनुसंधान कार्यों और उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान के प्रदर्शन में संलग्न है।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, तकनीशियन (1)/ग्रुप II (1) [वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-2 में] {ग्रुप 'सी' (गैर-राजपत्रित)} के पद पर 28 (अट्ठाईस) रिक्तियों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पद/समूह (श्रेणी) का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर	कुल परिलब्धियाँ*	ऊपरी आयु सीमा** (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को)
तकनीशियन (I)/ग्रुप II (1)	28 [अनारक्षित:14 ; ईडब्ल्यूएस :05 ; अ० पीं० व० (एनसीएल)-;01 अ० जा० :01; अ० ज० जा० :07]	वेतन स्तर-2 (रु.19,900-63,200)	(लगभग) रु. 37,000/- प्रति माह	28 वर्ष**

*कुल परिलब्धियों का अर्थ है जमशेदपुर में लागू न्यूनतम वेतनमान पर मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता सहित प्रति माह लगभग कुल पारिश्रमिक।

कृपया विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट संबंधी प्रावधान देखें।

- उपरोक्त पदों में से 01 (एक) पद [पोस्ट कोड T-04 के अंतर्गत] लोकोमोटर डिसेबिलिटी [OA, OL, BL] की श्रेणी के दिव्यांगजन आवेदनकर्ताओं के लिए आरक्षित है, जिसमें बौनापन (Dw) और एसिड अटैक पीड़ित (AAV) शामिल हैं, और एक (01) पद [पोस्ट कोड T-08 के अंतर्गत] B (नेत्रहीन)/LV (कम दृष्टि) की श्रेणी के दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आरक्षित है।
- उपरोक्त 28 पदों में से तीन (03) पद भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले आवेदनकर्ताओं के लिए आरक्षित हैं।

रिक्तियों का विवरण, आवश्यक योग्यताएं आदि:

पोस्ट कोड	ट्रेड	पदों की संख्या एवं आरक्षण	आवश्यक योग्यता(एँ)
टी 01	फिटर	03 पद (अना० :01; ईडब्ल्यूएस :01; अ० ज० जा० :01)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **फिटर** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । या न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **फिटर** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। या न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **फिटर** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी-02	टर्नर	03 पोस्ट (अना० :02; अ० ज० जा० :01)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **टर्नर** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। या न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **टर्नर** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। या न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **टर्नर** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी-03	इलेक्ट्रीशियन	03 पोस्ट (अना० :01; ईडब्ल्यूएस :01; अ० ज० जा० :01)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **इलेक्ट्रीशियन** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **इलेक्ट्रीशियन** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **इलेक्ट्रीशियन** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी-04	प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र) **[दीघा केंद्र के लिए 2 पद और एनएमएल मद्रास केंद्र के लिए 2 पद आरक्षित हैं]**	07 पद (अना० :03; ईडब्ल्यूएस: 01; अ० ज० जा० :02; अ० पीं० व० (एनसीएल):01) उपरोक्त सात पदों में से एक पद दिव्यांग अभ्यार्थियों; (PwBD) के लिए लोकोमोटिव विकलांगता [OA, OL, BL] श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड मेंप्रमाण पत्र । **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।

		है, जिसमें Dw, AAV भी शामिल हैं।	
टी 05	फाउंड्रीमैन	01 पद (अना०)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **फाउंड्रीमैन** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **फाउंड्रीमैन** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **फाउंड्रीमैन** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी-06	वेल्डर	01 पद (अना०)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **वेल्डर** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **वेल्डर** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **वेल्डर** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी-07	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	02 पोस्ट (अना० :01; अ० ज० जा० :01)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **ड्राफ्ट्समैन (सिविल)** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **ड्राफ्ट्समैन (सिविल)** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **ड्राफ्ट्समैन (सिविल)** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी-08	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	03 पोस्ट (अना०:01; अ० ज० :01; अ० ज० जा० :01) [उपरोक्त तीन पदों में से एक पद श्रेणी बी/एलवी के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है।]	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष और **कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी 09	कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग	01 पद (अना०)	विज्ञान विषयों के साथ 10वी /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेन्स** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। **या**

	मेंटेनेन्स (सीएचएनएम)		न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेन्स** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेन्स** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी 10	ड्राइवर सह मैकेनिक (हल्के मोटर वाहन)	01 पद (अना०)	विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **ड्राइवर सह मैकेनिक (हल्के मोटर वाहन)** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **ड्राइवर सह मैकेनिक (हल्के मोटर वाहन)** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **ड्राइवर सह मैकेनिक (हल्के मोटर वाहन)** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी 11	हॉस्पीटल हाउसकीपिंग	02 पोस्ट (अना० :01; ईडब्ल्यूएस :01)	विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **हॉस्पीटल हाउस्कीपिंग** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **हॉस्पीटल हाउस्कीपिंग** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **हॉस्पीटल हाउस्कीपिंग** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
टी 12	प्लंबर	01 पद (ईडब्ल्यूएस)	विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और **प्लंबर** ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **प्लंबर** ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। **या** न्यूनतम 55% अंकों और विज्ञान विषयों के साथ 10$^{वी}$ /माध्यमिक या समकक्ष और **प्लंबर** ट्रेड में भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: अना० - अनारक्षित; **ईडब्ल्यूएस -** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **अ० पी० व० (एनसीएल) -** अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेअर); **अ० ज० -**अनुसूचित जाति**; अ० ज० जा० -** अनुसूचित जनजाति; (आई० टी० आई०); औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institute); ओ.ए. - एक भुजा, ओ.एल. - एक टांग, बी.एल. - दोनों टांगे, डी.डब्ल्यू - बौनापन, ए.ए.वी. - एसिड हमला पीड़ित, बी. - नेत्रहीन, एल० बी० - कम दृष्टि।			
एकाधिक पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा और जहां लागू हो, वहां अलग से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।			
टिप्पणी:प्रत्येक पोस्ट कोड के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।			

कार्य संबंधी आवश्यकताएँ: उपरोक्त तालिका में संबंधित ट्रेडों के अनुसार। हालांकि, चयनित उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएमएल के विवेकानुसार किसी भी प्रभाग/अनुभाग में तैनात किया जा सकता है।

सीएसआईआर-एनएमएल का लक्ष्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता हो, और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

1. तकनीशियन-(I)/समूह-II (1) के लिए चयन प्रक्रिया

- स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड /विषय में ट्रेड टेस्ट (योग्यता परीक्षा) के लिए आमंत्रित किया जाएगा;
- जो लोग ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- प्रतियोगी लिखित परीक्षा में तीन प्रश्नपत्र होंगे (पेपर-1, पेपर-2 और पेपर-3)। दूसरे और तीसरे पेपर (अर्थात् पेपर- 2 और 3) का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पहले प्रश्नपत्र (पेपर-1) में न्यूनतम अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा) प्राप्त करेंगे।

1.1 लिखित परीक्षा की योजना:

परीक्षा का तरीका	ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा।
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे।
परीक्षा का स्तर	एसएससी + आईटीआई / बारहवीं कक्षा
प्रश्नों की कुल संख्या	150
कुल आवंटित समय	2 घंटे 30 मिनट

1.2 पेपर-I (आवंटित समय - 1 घंटा)

विषय	**प्रश्नोंकी संख्या**	**अधिकतम अंक**	**नकारात्मक अंक**
मानसिक क्षमता परीक्षण*	50	100 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक)	इस परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
* मानसिक योग्यता परीक्षण इस प्रकार तैयार किया जाएगा जिसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क क्षमता, समस्या समाधान, परिस्थितिजन्य निर्णय आदि शामिल हों।			

1.3 पेपर-II (आवंटित समय - 30 मिनट)

विषय	**प्रश्नोंकी संख्या**	**अधिकतम अंक**	**नकारात्मक अंक**
सामान्य जागरूकता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

1.4 पेपर-III (आवंटित समय- 1 घंटा)

विषय	प्रश्नोंकी संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
संबंधित विषय	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

1.5 योग्यता सूची तैयार करना:

a.अंतिम मेधा सूची लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पेपर II और III में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

b.परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों में बराबरी होने की स्थिति में, मेधा का निर्धारण सीएसआईआर द्वारा अपने परिपत्र पत्र संख्या 5-1(211)/2014-पीडी दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से अधिसूचित निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके, नीचे दिए गए वरीयता क्रम में, तब तक किया जाएगा जब तक कि बराबरी का समाधान नहीं हो जाता:

I. संबंधित विषय/ट्रेड के प्रश्नपत्रों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान दिया गया;
ii. लिखित परीक्षा के संबंधित विषय/ट्रेड मेंके प्रश्नपत्रों में, यदि लागू हो, तो कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान दिया जाता है;
iii. लिखित परीक्षा के उन प्रश्नपत्रों (जिन पर योग्यता निर्धारण के लिए विचार किया गया है) में, यदि लागू हो, तो कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ;
iv. जन्म तिथि के अनुसार, अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा;
iv. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पहले प्राप्त कर चुके उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा;
v. उम्मीदवारों के प्रथम नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार।

सामान्य जानकारी एवं शर्तें

2. परिषद सेवा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ:

A. सभी नए भर्ती होने वाले कर्मचारी "नई पेंशन योजना" के अंतर्गत आएंगे, जो 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पर आधारित है और जिसे सीएसआईआर ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित व्यक्तियों के मामले में, भारत सरकार की किसी विशेष पेंशन योजना के तहत सीएसआईआर/सीएसआईआर-एनएमएल में पेंशन की पात्रता, यदि कोई हो, तो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब-2021) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।

B. इस पद पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले और सीएसआईआर के लिए लागू सामान्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि दिए जाएंगे। परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर निवास आवंटन नियम-2022 के अनुसार उपलब्धता के आधार पर अपने पात्रता के आवास के भी पात्र होंगे, ऐसी स्थिति में एचआरए देय नहीं होगा। यदि निदेशक, सीएसआईआर-एनएमएल द्वारा ऐसा अनिवार्य किया जाता है, तो चयनित सभी/किसी भी उम्मीदवार के लिए सीएसआईआर-एनएमएल स्टाफ क्वार्टर में रहना अनिवार्य होगा।

C. उपर्युक्त वेतन के अतिरिक्त, सीएसआईआर नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ उपलब्ध हैं।

D. नियुक्ति का सामान्य स्थान सीएसआईआर-एनएमएल, जमशेदपुर है। हालांकि, नियुक्त व्यक्ति को सीएसआईआर-एनएमएल की दीघा (प० बंगाल) और चेन्नई स्थित इकाइयों में भी तैनात किया जा सकता है, विज्ञापन में प्रत्येक इकाई के लिए 2 पद आरक्षित हैं] और साथ ही सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएमएल के विवेकानुसार सीएसआईआर-एनएमएल के किसी भी अनुभाग/प्रभाग या भारत के किसी भी स्थान पर स्थित सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में, जिसमें उनके क्षेत्रीय केंद्र भी शामिल हैं, तैनात किया जा सकता है।

E. इन पदों पर नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (समय-समय पर यथा संशोधित) और अन्य सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी, जहां तक वे परिषद सेवक पर लागू होते हैं, और उनकी प्रयोज्यता के संबंध में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. अन्य शर्तें:

A. आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

B. सभी आवेदकों के पास पद के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदन करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं हैं, जो अनिवार्य है, भले ही उम्मीदवार के पास कोई अन्य उच्च योग्यता हो।**पात्रता या अन्य किसी भी विषय में सलाह संबंधी पूछताछ पर भी विचार नहीं किया जाएगा।**.

C. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव न्यूनतम हैं। केवल निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाने के पात्र नहीं होंगे। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपने मानदंड अपनाएगी। इसलिए, आवेदकों को आवेदन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं के अतिरिक्त, अगर कोई हो, तो अपनी सभी प्रासंगिक योग्यता(ओं) और अनुभव को उचित दस्तावेज संलग्न करते हुए, उल्लेख करना चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्ण और सही हैं।

D. सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएमएल को इस विज्ञापन में नियम एवं शर्तों को संशोधित करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार है।

E. समतुल्यता संबंधी प्रावधान के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समतुल्य योग्यता के रूप में दावा करता है, तो उसे इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख (संख्या और तिथि सहित) हो जिसके तहत इसे समतुल्य माना गया है; अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। योग्यता(ओं) की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों/परिषदों आदि की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर-एनएमएल/सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

F. यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी हिंदी या अंग्रेजी में प्रतिलिपि, जो किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।

G. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि, मैट्रिक/माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में दर्ज तिथि से मेल खानी चाहिए। जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए बाद में किए गए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि मैट्रिक/माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में जन्मतिथि दर्ज नहीं है, तो उम्मीदवार विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज/रिकॉर्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

H. ट्रेड टेस्ट और/या लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

I. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन प्रक्रिया और परीक्षा के संचालन, परीक्षा स्थल, तिथि और समय आदि से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर-एनएमएल/सीएसआईआर का निर्णय सर्वोपरि अंतिम और उम्मीदवारों के लिए

बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा की गई कोई भी पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

J. **किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना, चाहे वह राजनीतिक हो या अन्य, इस पद के लिए अयोग्यता का कारण माना जाएगा।**

K. सीएसआईआर-एनएमएल के निदेशक बिना कोई कारण बताए विज्ञापन रद्द करने का अधिकार रखते हैं या आवश्यकता पड़ने पर पद न भरने का अधिकार भी रखते हैं। सभी पोस्ट कोड या किसी भी पोस्ट कोड के समक्ष ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या वास्तविक चयन के समय में भिन्न हो सकती है, अर्थात् बढ़ या घट सकती है। चयन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों के दौरान किसी भी समय प्रचलित सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अधीन होगी।

L. चयनित उम्मीदवार पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो साल की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

M. आवेदकों को आवेदन पत्र में यह बताना होगा कि क्या उनके कोई करीबी या रक्त संबंधी सीएसआईआर-एनएमएल या सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान के कर्मचारी हैं।

N. अयोग्यताएँ: कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने किसी जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुलग्नक किया हो, या (ख) जिसने जीवित पति/पत्नी होने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुलग्नक किया हो, परिषद सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

O. अस्थायी उम्मीदवारी: इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने मात्र से यह अनिवार्य नहीं है कि चयन हो गया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। ट्रेड टेस्ट और प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारी केवल अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। चयन सभी नियमों एवं शर्तों के पूरे करने और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी भी समय प्रचलित सभी सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के पालन के अधीन होगा।

P. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी, जैसे परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट/संशोधन, पदों की संख्या में परिवर्तन/पद रद्द होना आदि, केवल सीएसआईआर-एनएमएल के वेबसाइट https://nml.res.in के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट https://nml.res.in देखते रहने की सलाह दी जाती है।

Q. इस विज्ञापन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार के अंतर होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

R. **किसी भी प्रकार की अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

4. आयु सीमा एवं छूट:

A. तकनीशियन (1) / ग्रुप II (1) के पद के लिए आयु सीमा 18-28 वर्ष है।

B. भारत सरकार के लागू आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ० पीं० व० - NCL) के लिए 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं, और इसके लिए निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **अ० पीं० व० (एनसीएल) के लिए प्रारूप/घोषणा (परिशिष्ट-II और IIA); अ० ज० /अ० ज० जा० : परिशिष्ट -I)]**

C. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार, सीएसआईआर कर्मचारियों / सरकारी विभागों के कर्मचारियों / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

D. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से पति से अलग हुई ऐसी महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है: के लिए आयु में छूट, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है (अनुसूचित पदों के लिए अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनके लिए आरक्षित पदों के लिए 40 वर्ष तक)। इस उप-अनुच्छेद के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

I. विधवा होने की स्थिति में: उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और इस बात का शपथ पत्र कि उसने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है;

II. तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में: तलाक या न्यायिक पृथक्करण (जो भी लागू हो) को साबित करने के लिए समक्ष न्यायालय के निर्णय/डिक्री की एक प्रमाणित प्रति, साथ ही तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र कि उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

E. मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली छूट/रियायत

1. मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में छूट: ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष और अ० पीं० व० (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित है) की छूट उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो निम्नलिखित से पीड़ित हैं: (क) नेत्रहीन या कम दृष्टि (ख) बहरापन और कम श्रवण (ग) प्रमस्तिष्किय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी सहित चलने-फिरने में अक्षमता (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग; (ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-विकलांगता, जिसमें बहरापन-अंधापन शामिल है। विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य के बावजूद दी जाएगी कि पद मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं। इस उप-अनुच्छेद के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो स्पष्ट रूप से दर्शाता हो कि शारीरिक विकलांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक है। किसी भी स्थिति में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति भारत सरकार / सीएसआईआर-एनएमएल / सीएसआईआर द्वारा प्रत्येक पद के लिए निर्धारित चिकित्सा फिटनेस मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने पर निर्भर होगी। **[पीडब्ल्यूबी प्रमाणपत्रों के प्रारूप (परिशिष्ट -IV, IVA)]**

2. सीएसआईआर-एनएमएल, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत विभिन्न मानक विकलांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा, जो कि इसके अनुरूप होगा।भारत का राजपत्र : असाधारण [भाग I–अनुभाग 1] 106 जीआई/2021भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 के अनुरूप होगा।

3. लिखित परीक्षा के लिए क्षतिपूर्ति समय और लेखक की सहायता का प्रावधान:

3.1 दृष्टिहीनता, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्किय पक्षाघात जैसी श्रेणी में आने वाली मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के मामले में, यदि उम्मीदवार चाहें तो लेखक/मार्ग निर्धारक की सुविधा प्रदान की जाती है।

3.2 मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की शेष श्रेणियों के मामले में, परीक्षा के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें यह प्रमाणित हो कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जारी किया जाएगा। **परिशिष्ट-V.**

3.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-II दिनांक 10.08.2022 के अनुसार, 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का सामना

करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों को भी लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। **परिशिष्ट -VA.**

3.4 दिव्यांग/दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रलिपिक/पाठक की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे इस संबंध में ईमेल आईडी recruitment2025@admn.nml.in पर परीक्षा से 15 दिन पहले एक ईमेल लिखेंगे।

3.5 उम्मीदवारों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपना स्वयं का लेखक चुनें या सीएसआईआर-एनएमएल द्वारा प्रदान की गई लेखक सुविधा का लाभ उठाएं।

3.6 यदि उम्मीदवार अपने साथ स्वयं का प्रलिपिक (Scribe) नियुक्त करता है, तो प्रलिपिक (Scribe) की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। मानक विकलांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबी) जो स्वयं का प्रलिपिक नियुक्त करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा के समय निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। **परिशिष्ट -VI.**

3.7 पैरा 3.3 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा के लिए पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों (PwD) को, जो स्वयं अपना प्रलिपिक लाना चाहते हैं, परीक्षा के समय निर्धारित प्रपत्र के **परिशिष्ट-VIA** अनुसार अपने प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल रूप में वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.8 प्रलिपिक के पहचान पत्र की फोटोकॉपी, जिस पर उम्मीदवार और प्रलिपिक दोनों के हस्ताक्षर हों, प्रोफार्मा **परिशिष्ट- VI/ परिशिष्ट-VIA.** के साथ जमा करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो उम्मीदवार पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो देगा/ देगी।

3.9 यदि कोई उम्मीदवार अपने साथ स्वयं का प्रलिपिक लाता है, तो वह लेखक इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यदि किसी उम्मीदवार को किसी अन्य दिव्यांग/दिव्यांग उम्मीदवार को लेखक के रूप में सहायता करते हुए पाया जाता है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.10 पैरा 3.1, 3.2 और 3.3 में वर्णित अनुसार, जिन व्यक्तियों को लेखक का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

3.11 उपरोक्त पैरा 3.1, 3.2 और 3.3 में संदर्भित उम्मीदवार जो लेखक का उपयोग करने के पात्र हैं लेकिन लेखक की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

3.12 योग्य उम्मीदवारों के लिए लेखक के अलावा किसी अन्य परिचारक को परीक्षा स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

3.13 एक आंख वाले या आंशिक रूप से दृष्टिहीन उम्मीदवार जो सामान्य प्रश्न पत्र को आवर्धक लेंस के साथ या उसके बिना पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर लिखना/चिह्नित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का उपयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें लेखक की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को अपना आवर्धक लेंस स्वयं परीक्षा कक्ष में लाना होगा।

3.14 दिव्यांग उम्मीदवार जिन्होंने लेखक/पाठक और/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय लेखक/क्षतिपूर्ति समय की पात्रता से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.15 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-25/2024-नीति दिनांक 17-12-2025 के अनुसार:

(क) अस्थायी विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना" के रूप में वर्गीकृत विकलांगता की स्थिति आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगी;

(बी) अस्थायी विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" के रूप में वर्गीकृत विकलांगता स्थितियों को आरक्षण के लिए पात्र माना जाएगा।

4. सभी उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित छूट/रियायतें केवल उन्हीं पदों के लिए लिखित परीक्षा के संबंध में लागू हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित शारीरिक अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए ।भारत का राजपत्र : असाधारण [भाग I–अनुभाग 1] 106 जीआई/2021भारत

सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 के अनुसार उपयुक्त माने गए हैं।

F. पूर्व सैनिकों के मामले में छूट/रियायत

1. <u>पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को ऊपरी आयु सीमा में छूट</u> ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष।
2. पूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण के लाभों का फायदा उठाकर नियमित आधार पर सरकार के अधीन नागरिक क्षेत्र में समूह सी और/या डी पदों पर रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे पूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं।
3. हालांकि, डी०ओ०पी०टी०, भारत सरकार के कार्यलाय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था० संकल्प-II, दिनांक 14 अगस्त 2014 के आलोक में ऐसे उम्मीदवार पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ बाद के रोजगार में उठा सकते हैं, यदि वे सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के साथ स्व-घोषणा/वचन पत्र देते हैं, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था।
4. सशस्त्र बलों में पूर्व सैनिक की "पुनर्भ सेवा" की अवधि को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में प्रदत्त सेवा के रूप में माना जाएगा।
5. संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्व सैनिक माने जाने के लिए, आवेदन जमा करने के समय तक उसे पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए या सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करना भी आवश्यक है।
6. भूतपूर्व सैनिक शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से होगा, जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 तथा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी०ओ०पी०टी०) द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था० संकल्प-II, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से जारी निर्देशों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:– "सशस्त्र बलों में सेवारत अभ्यर्थी सिविल पदों पर आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे, जब वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बलों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेते हैं। बशर्ते कि यदि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो केवल इस आधार पर कि अभ्यर्थी ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अवधि के पश्चात सशस्त्र बलों से स्वयं को सेवामुक्त करा लिया है, उसे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक नियमों के परिशिष्ट-V (A) एवं V (B) [इस विज्ञापन के **<u>परिशिष्ट</u>**-VII एवं VIII] में निर्धारित प्रमाण-पत्र तथा वचनबद्धता-पत्र (Undertaking) अपने पास रखते हों।"
7. स्पष्टीकरण: "पूर्व सैनिक" से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है:

7.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो, और; (i) जो अपनी स्वयं की इच्छा से या पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या मुक्त किया गया हो; या (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा कारणों से ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो; या (iii) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो;

7.2 जो व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से, बर्खास्तगी से, या दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण सेवामुक्ति से, निर्दिष्ट अवधि की सेवा पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त हो गया हो और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो, और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल हैं, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा की खंडित अवधियों के लिए पेंशन धारक; या

7.3 सेना डाक सेवा के वे कर्मी जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना पेंशन सहित सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा कारणों से सेना डाक सेवा से मुक्त हो चुके हैं और उन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है; या

7.4 वे कर्मी जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय से सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

7.5 सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता, जिनमें प्रादेशिक सेना के कर्मी भी शामिल हैं; या

7.6 चिकित्सा कारणों से सेवामुक्त किए गए या सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों को चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है। मैट्रिक उत्तीर्ण पूर्व सैनिक (जिसमें भारतीय सेना का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना का समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त पूर्व सैनिक शामिल हैं) जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वे केवल पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित समूह "सी" पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। अतः, मैट्रिक उत्तीर्ण पूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

G. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग [एनसीएल]/अत्यंत आर्थिक वर्ग/दिव्यांग/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए मान्य प्रमाण पत्र की एक प्रति निर्धारित प्रारूप में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करनी होगी। सत्यापन हेतु सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएमएल द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इन सभी प्रमाण पत्रों की सत्यता सिद्ध होने तक उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

H. ऊपरी आयु सीमा में किसी अन्य श्रेणी के लिए छूट का दावा, यदि कोई हो: भारत सरकार के निर्देशानुसार और सीएसआईआर द्वारा अपनाए गए अनुसार।

I. आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो, जो कि डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Eअ० जा० t (Res) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय के आधार पर जारी किया गया हो। **[ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का प्रारूप (परिशिष्ट-III)]**

ऊपरी आयु सीमा, योग्यता, अनुभव और अन्य प्रमाणपत्रों की वैधता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

5. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसआईआर-एनएमएल वेबसाइट पर https://nml.res.in ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

A. पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीएसआईआर-एनएमएल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का लिंक सीएसआईआर-एनएमएल की वेबसाइट पर https://nml.res.in उपलब्ध होगा। आवेदन 15.12.2026 (सुबह 10:00 बजे) से 08.01.2027 (शाम 5:00 बजे) तक ही मान्य है। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पोर्टल का यू०आर०एल० यह: **https://tiru.ngri.res.in/nml_tech/** है।

B. किसी भी एक पोस्ट कोड के अंतर्गत सभी पदों के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को उस पोस्ट कोड के लिए केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे और प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान नियमों अनुसार अलग-अलग करना होगा। हालांकि, पंजीकरण केवल एक बार ही कराना आवश्यक है। किसी एक पोस्ट कोड के लिए दो या अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

C. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि/समय का इंतजार किए बिना, समय से पहले ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दें। किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा न करने और/या आवेदन शुल्क का भुगतान न करने के लिए CSIR-NML जिम्मेदार नहीं होगा।**

D. उम्मीदवारों के पास एक वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रहनी चाहिए। यह ईमेल आईडी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य दर्ज करनी होगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई ईमेल आईडी बनानी होगी।

E. उम्मीदवारों को अपने नवीनतम [तीन महीने से अधिक पुराने नहीं] पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो को स्कैन करके अपलोड करना होगा और साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर भी करने होंगे।

F. **उम्मीदवार की तस्वीर [बिना टोपी, चश्मे के और सामने से दोनों कान दिखाई देने वाली तस्वीर; आकार 50KB से अधिक नहीं और हस्ताक्षर [सादे सफेद कागज पर काली स्याही से; आकार 30KB से अधिक नहीं] निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए।**

G. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से एस०बी०आई० कलेक्ट - द्वारा ₹500/- (केवल पाँच सौ रुपये मात्र) आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन भुगतान करने हेतु कृपया SB Collect एस०बी०आई० कलेक्ट पर क्लिक करें ⟹ Any Category ⟹ आवेदन शुल्क का प्रकार (Type of Application Fee) ⟹ आवेदन का प्रकार (Type of Application) ⟹ नियमित नियुक्ति (Regular Appointment)। अनुसूचित जाति (अ०जा०)/अनुसूचित जनजाति (अ०ज०जा०)/ दिव्यांगजन(पी०डब्ल्यू०बी०डी०)/ महिला अभ्यर्थियों/ सी०एस०आई०आर० कर्मचारियों तथा केवल ऐसे भूतपूर्व सैनिकों (इ०एस०एम०) को, जो आरक्षण के लिए पात्र हैं, आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उत्पन्न भुगतान रसीद को भविष्य में संदर्भ एवं उपयोग हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

H. यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड/परिषद सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए आदि ग्रेड प्रदान करते हैं, तो उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड/परिषद द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर इसका उल्लेख करें।

I. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए कंप्यूटर जनित आवेदन को सुरक्षित रखना होगा। ऑनलाइन आवेदन या इसके किसी भी संलग्नक की कोई हार्ड कॉपी भेजने/जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

J. एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

K. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदन वर्तमान नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि उम्मीदवार आवश्यक एनओसी संलग्न नहीं कर पाते हैं, तो वे इस विज्ञापन के लिए अपने आवेदन हेतु वर्तमान नियोक्ता को एनओसी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए अनुरोध की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सीएसआईआर-एनएमएल द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। उक्त एनओसी में सतर्कता मंजूरी का उल्लेख भी होना चाहिए।

L. हस्ताक्षर, फोटो और आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) आदि के बिना, आवेदन पत्र में किए गए सभी दावों के समर्थन में स्व-सत्यापित दस्तावेजों के बिना, और यहां तक कि हस्ताक्षर, फोटो और अपलोड किए गए किसी भी दस्तावेज के धुंधले होने की स्थिति में भी, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या/दिक्कत के लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी निम्नलिखित है:**recruitment2025@admn.nml.in**

M. इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के नाम, परीक्षा/परीक्षण की तिथि, समय एवं स्थान तथा अन्य संबंधित विवरणों, अद्यतन सूचनाओं (Updates), शुद्धिपत्र (Corrigendum), परिशिष्ट (Addendum) आदि के संबंध में भविष्य में जारी की जाने वाली समस्त सूचनाएँ समय-समय पर केवल CSIR-NML की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nml.res.in पर ही प्रकाशित/उपलब्ध कराई जाएँगी।

N. निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके PDF फाइल के रूप में (प्रत्येक का आकार 3 MB से अधिक न हो) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है:

i. एस०एस०सी०/10वीं/मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र (मार्कशीट)।
ii. संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में दो साल का अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र या भारत सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम/स्वायत्त निकाय में संबंधित ट्रेड में तीन साल का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र।
iii. परीक्षा शुल्क के भुगतान की रसीद की प्रति (Receipt), यदि कोई हो।
iv. अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र;
v. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो आवश्यक योग्यताओं में समकक्ष खंड के संबंध में, दावा की गई योग्यता(ओं) की समकक्षता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या और तिथि सहित) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे समकक्ष माना गया है;
vi. यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग (अ०जा०/ अ०ज०जा०/अ०पीं०व० [नॉन-क्रीमी लेयर (एन०सी०एल०)]/ईडब्ल्यूएस) से संबंधित है, तो संबंधित जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र की प्रति।
vii. यदि लागू हो, तो निर्धारित प्रारूप में बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र।
viii. पूर्व सैनिकों के लिए (ईएसएम):
(क) परिशिष्ट - **VIII** के अनुसार वचनपत्र;
(ख) परिशिष्ट - **VII** के अनुसार सेवारत रक्षा कर्मी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो;
(ग) यदि सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुए हों तो डिस्चार्ज प्रमाणपत्र / पीपीओ;
ix. आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु, यदि लागू हो, तो कोई अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र;
x. अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पहले से सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय / सीएसआईआर या उसके लैब्स / संस्थानों में नियुक्त हैं;
xi. विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण मैट्रिक पास करने के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे:
   - महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी के नाम दर्शाए गए हों या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथपूर्वक दिया गया शपथ पत्र जिसमें संयुक्त फोटो हो;
   - महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: प्रथम पति के संबंध में तलाकनामा/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथपूर्वक दिया गया शपथ पत्र जिसमें संयुक्त फोटो हो;

- महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाकनामा की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/शपथ पत्र;
- अन्य परिस्थितियों में पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के नाम परिवर्तन हेतु शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत लिया गया शपथ-पत्र, दो प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित नाम परिवर्तन संबंधी विज्ञापनों की मूल प्रतियाँ (जिनमें से एक दैनिक समाचार-पत्र अभ्यर्थी के स्थायी एवं वर्तमान पते अथवा उसके निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. <u>दुर्व्यवहार/अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई</u>

अभ्यर्थियों को अपने हित में यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया हुआ अथवा जाली विवरण/जानकारी प्रस्तुत न करें तथा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी को न छिपाएँ। यदि परीक्षा/परीक्षण के समय अथवा चयन प्रक्रिया के किसी भी आगामी चरण में कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है (या पूर्व में दोषी रहा है), तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है:–

a. अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या
b. किसी व्यक्ति का रूप धारण करना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रूप धारण करवाने का कार्य करना; या
c. परीक्षा/परीक्षा स्थल पर दुर्व्यवहार करना या परीक्षा(ओं) की सामग्री या उसमें निहित किसी भी जानकारी को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनरुत्पादित करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना; या
d. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना; या
e. अनुचित साधनों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना; या
f. परीक्षा/परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन या संचार के ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना;

तो ऐसे उम्मीदवार पर आपराधिक अभियोजन के अलावा निम्नलिखित आरोप भी लग सकते हैं:

i. जिस परीक्षा के लिए वह उम्मीदवार है, उससे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
ii. सीएसआईआर और इसकी प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना
iii. सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही सेवा में शामिल हो चुका है।

g. सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएमएल, मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों को भी दे सकता है, जैसा उचित समझे, और संबंधित अधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

ह0/-
प्रशासन नियंत्रक

<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री..... निवासी ग्राम/कस्बा.... जिला / संभाग*....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.. के.....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950....
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950...
@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*..
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*..

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986, और गोवा, दमन तथा दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित॥]

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002@

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*_____ के पिता/ माता श्री/श्रीमती_____ निवासी_____ग्राम / कस्बा*_____जिला/संभाग*_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*_____को जारी किए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो_____ दिनांक_____राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी_____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम / कस्बा*_____जिला/संभाग*_____राज्य / संघ राज्य
क्षेत्र _____ में रहता (रहते) है ।

हस्ताक्षर_____

**पदनाम_____

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान_____

दिनांक_____

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 में दिया है।

<u>जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-</u>

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट +/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ।

+ (प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) ।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो ।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी_____पुत्र/ पुत्री_____ग्राम/ कस्बा_____ जिला/ संभाग_____ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के_____समुदाय से संबंधित हैं जो दिनांक _____-संकल्प सं._____ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है*।

श्री/श्रीमती/कु०._____तथा/ या उनका परिवार सामान्यतः_____राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के_____जिला / संभाग
में रहता / रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था-(एससीटी), दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004- स्था.-(रेस), दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था.- (रेस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/1/2013-स्था-(रेस), दिनांक 27 मई, 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 मैं उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर_____

पद_____

दिनांकः

मुहरः

---

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

**- समय समय पर यथा संशोधित

$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जारी करने वाले के समान होगी।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करने का घोषणा-पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं ..... श्री ..... का पुत्र/पुत्री, निवासी गाँव/कस्बा/शहर ....., जिला ..... राज्य ....., यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं ..... समुदाय से हूँ, जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग माना गया है, जैसा कि कार्य विभाग और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्थ(SCT) दिनांक 8.09.1993 में उल्लिखित आदेशों में है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैंने उक्त DoP&T OM दिनांक 8.09.1993 और OM संख्या 36033/1/2013-स्थ.(आरक्ष.) दिनांक 13.09.2017 में दिए गए निर्देशों को पढ़ा और समझा है और मेरे पास यह घोषित करने के कारण हैं कि मैं पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आय के आधार पर OBC (क्रीमी लेयर) श्रेणी में नहीं आता/आती हूँ।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

<u>आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाण-पत्र संख्या_____

दिनांक_____

<u>वर्ष.....लिए मान्य</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____ पुत्र/पुत्री/पत्नी_____स्थायी निवासी_____ गाँव/गली_____ डाकघर_____जिला_____ राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र_____पिन कोड_____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष_____ के लिए उनकी / उनके 'परिवार'** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी_____ का संबंध_____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

---

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

***टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपति को शामिल कर लिया गया है।

फॉर्म -V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(एकल दिव्यांगता के मामले में)

[नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र / यूडीआईडी सं._____ जारी करने की तिथि_____

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने /हमने <आवेदक का नाम> सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री <<आवेदक के पिता/ माता/ अभिभावक का नाम>, जन्म तिथि: (दि/म/व), लिंग <पुरुष / महिला /ट्रांसजेन्डर>, पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक सं>, जो मकान <दिव्यांग का पता> के निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं/हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला (निम्नलिखित दिव्यांगता में से कोई एक) का है:

i.गतिविषयक दिव्यांगता
ii.पेशी संबंधी कुपोषण
iii.अभिसाधित कुष्ठ
iv.बौनापन
V.प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
vi.तेजाब हमले के पीड़ित
vii.अल्प दृष्टि
viii.नेत्रहीनता
ix.श्रवण दिव्यांगता
X.वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
xi.बौदधिक दिव्यांगता
xii.विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
xiii.ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
xiv.मानसिक बीमारी
XV.चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
xvi.मल्टीपल स्लेरोसिस
xvii.पार्किन्सन बीमारी
xviii.हेमोफिलिया
xix.थेलेसेमिया
XX.सिकल सेल की बीमारी

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले में..... निदान किया गया है ।

(घ) उन्हें_____% (आंकड़ों में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप [स्थायी / अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक वैध है] जो कि भारत सरकार द्वारा दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) की <अधिसूचना संख्या> के माध्यम से अधिसूचित 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत शामिल किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता के स्तर का आकलन करने के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है ।

दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

फॉर्म-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता संबंधी मामलों में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18 (1) देखें].

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र / यूडीआईडी सं.:_____ दिनांक:_____

प्रमाणित किया जाता है कि हमनें <आवेदक का नाम>, सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री <आवेदक के पिता/माता/अभिभावक का नाम>, जन्म तिथि (दि/म/व) लिंग <पुरुष / महिला /ट्रांसजेन्डर> पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक सं>, जो मकान <दिव्यांग का पता> के निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम सिंतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता के स्तर का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) को जारी <अधिसूचना सं.> के तहत 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगताओं हेतु निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है:

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	दिव्यांगता
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9.	श्रवण दिव्यांगता			
10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
11.	बौदधिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			

19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल की बीमारी			

(नोट: केवल निदान की गई दिव्यांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) उन्हें_____% (आंकड़ों में)_____ (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप [स्थायी/अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक वैध) है।

दिव्यांग व्यक्ति के अंगूठे का निशान / हस्ताक्षरः

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षरः

हस्ताक्षरः

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

इब्ध है)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री / श्रीमती_____.(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम),
सुपुत्र/सुपुत्री_____
ग्राम/जिला/राज्य_____के निवासी हैं, जोकि_____.(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा- उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी : संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र |

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती_____(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/ सुपुत्री_____
निवासी _____ (ग्राम / डाकघर / थाना / जिला/ राज्य) , आयु_____
वर्ष,_____(दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है ।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड_____(नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और_____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधि

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:
तारीख:

<u>स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र</u>

मैं .....(दिव्यांगता का स्वरूप) .....दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका.....(जिले का नाम)..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)..... , में स्थित.....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक..... है। मेरी शैक्षिक योग्यता
..... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि श्री/ सुश्री श्रीमती.....(प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक /रीडर/ प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं वचन देता / देती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता..... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:
तारीख:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र ।

मैं_____,_____(दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित
अभ्यर्थी,_____जिला,.....(राज्य का नाम) में स्थित.....(केंद्र का नाम),
से_____(परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर_____है।
मेरी शैक्षिक योग्यता_____है।

2. मैं एतद्द्वारा व्यक्त करता हूं कि _____(प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता_____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:
तारीख:

<u>सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)_____ (रैंक) _____ (नाम)_____ (दिनांक)_____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मुहर

स्थानः
दिनांकः

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली वचन पत्र

मैं_____अनुक्रमांक_____.परीक्षा,
20_____के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूं और एततद्वारा वचनबद्ध हूं कि :

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का/की हकदार हूं।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ;

अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक_____ को _____ कार्यालय में_____पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतद्वारा दचनबद्ध हूं कि मैंने इसलिए मैं आयु में छूट पाने के लिए पात्र कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूं कि मैंने अपने वर्तमान नियोक्ता को उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करने के संबंध में तिथिवार विवरण सहित स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिनके लिए मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था;

अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही आरक्षण का लाभ उठा लिया है। मैंने दिनांक _____ को _____ कार्यालय में_____ पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए मैं आयु में छूट पाने के लिए पात्र नहीं हूं;

मैं एतद्वारा घोषणा करता /करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता / समझती हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी ।

हस्ताक्षर:
नाम:
अनुक्रमांक:
दिनांक:
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:
कार्यमुक्ति की तिथि:
अंतिम इकाई / कोर:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल आईडी:.

CSIR-National Metallurgical Laboratory
(Burmamines, Jamshedpur, Jharkhand-831007
Website-https://www.nml.res.in
Helpline: Ph.:0657-2345158
email: recruitment2025@admn.nml.in

Advt. No. 01/2026
Dated: 27.11.2026

Commencement of Online Application	:15.12.2026 (10:00 hours)
Last Date of submission of Online Application	:08.01.2027 (17:00 hours)

CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML), a constituent Laboratory of the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) which is an Autonomous Body under Ministry of Science & Technology, Government of India, is an R&D organization dedicated to metallurgical and materials engineering research. With modern and extensive infrastructure and the large spectrum of expertise of its Scientific and Technical manpower, CSIR-NML is primarily engaged in industrially significant research pursuits and demonstration of high quality science.

CSIR-National Metallurgical Laboratory invites ONLINE applications from eligible Indian citizens for filling up 28 (twenty-eight) vacancies in the post of Technician (1)/Group II (1) [in Pay Level-2 of Pay Matrix] {Gr. 'C' (non-gazette} as below :

Name of the Post/Group (Grade)	No. of Posts	Pay Level	Total Emoluments*	Upper Age Limit** (as on the last date of submission of online Application)
Technician (I)/Gr.II (1)	28 [UR-14; EWS-05; OBC (NCL)-01; SC-01; ST-07]	Pay Level-2 (Rs. 19,900-63,200)	Rs.37,000/- PM [approximately]	28 Years**

*Total Emoluments means approximate total emoluments per month on minimum of scale including House Rent Allowance, Transport Allowance as admissible in Jamshedpur.

**Kindly see relaxation clause for age relaxation to various categories of candidates.

- Out of above posts, 01 (one) post [against Post Code T-04] is reserved for PwBD applicant under the category of Locomotor Disability [OA, OL, BL], including Dwarfism (Dw) and Acid Attack Victim (AAV) and one (01) post [against Post Code T-08] is reserved for PwBD applicant under the category of B (Blind)/LV (Low Vision)
- Out of above 28 posts, three (03) posts are reserved for the applicants under the category of ex-Servicemen

Details of vacancies, essential qualifications etc.:

Post code	Trade	Number of post(s) & Reservation	Essential Qualification(s)
T-01	Fitter	03 Post (UR:01; EWS:01; ST:01)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Fitter** trade. OR SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Fitter** trade from a recognized institution. OR SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Fitter** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-02	Turner	03 Post (UR:02; ST:01)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Turner** trade. OR SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full time experience as an apprentice trainee in **Turner** trade from a recognized institution. OR SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Turner** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.

T-03	Electrician	03 Post (UR:01; EWS:01; ST:01)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Electrician** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full time experience as an apprentice trainee in **Electrician** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Electrician** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-04	Laboratory Assistant (Chemical Plant) **[2 Posts reserved for Digha Centre & 2 Posts for NML Madras Centre]**	07 Post (UR:03; EWS:01; ST:02; OBC (NCL): 01) Out of above seven posts, one post is reserved for PwBD under category of Locomotive Disability [OA, OL, BL] including Dw, AAV	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Laboratory Assistant (Chemical Plant)** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Laboratory Assistant (Chemical Plant)** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Laboratory Assistant (Chemical Plant)** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking /Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-05	Foundryman	01 Post (UR)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Foundryman** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Foundryman** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Foundryman** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking /Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-06	Welder	01 Post (UR)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Welder** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Welder** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Welder** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-07	Draughtsman (Civil)	02 Post (UR:01; ST:01)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Draughtsman (Civil)** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Draughtsman (Civil)** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Draughtsman (Civil)** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-08	Computer operator and programming assistant (COPA)	03 Post (UR:01; SC:01; ST:01) Out of above three posts, one post is reserved for PwBD under the category B/ LV	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Computer Operator and Programming Assistant** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years' full-time experience as an apprentice trainee in **Computer Operator and Programming Assistant** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Computer Operator and Programming Assistant** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under

			Government of India/State/UT.
T-09	Computer hardware & networking maintenance (CHNM)	01 Post (UR)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Computer Hardware & Networking Maintenance** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice training in **Computer Hardware & Networking Maintenance** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Computer Hardware & Networking Maintenance** trade in a Ministry/Department/Organization/ Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-10	Driver cum Mechanic (Light Motor Vehicle)	01 Post (UR)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Driver cum Mechanic (Light Motor Vehicle)** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Driver cum Mechanic (Light Motor Vehicle)** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Driver cum Mechanic (Light Motor Vehicle)** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-11	Hospital House Keeping	02 Post (UR:01; EWS:01)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Hospital House Keeping** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years full-time experience as an apprentice trainee in **Hospital House Keeping** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years of work experience in **Hospital House Keeping** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
T-12	Plumber	01 Post (EWS)	SSC/10th standard/SSC or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and ITI certificate or national/state trade certificate in **Plumber** trade. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 2 years' full-time experience as an apprentice trainee in **Plumber** trade from a recognized institution. **OR** SSC/10th Standard or equivalent with science subjects, with minimum 55 % marks and 3 years' of work experience in **Plumber** trade in a Ministry/Department/Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT.
Abbreviations used: UR –Unreserved**; EWS –**Economically Weaker Section**; OBC (NCL) –** Other Backward Classes (Non-creamy layer); **SC**-Scheduled Caste**; ST-** Scheduled Tribe; GoI-Government of India, UT-Union Territory, ITI-Industrial Training Institute; PwBD: Persons with Benchmark Disabilities; B – Blind; LV – Low Vision; OA – One Arm; OL – One Leg; BL – Both Legs; Dw – Dwarfism; AAV – Acid Attack Victim.			
Candidates eligible for multiple Posts are required to apply for each separately with payment of separate application fee, wherever applicable.			
Note: The number of vacancies indicated against each post code is provisional and may increase or decrease.			

Job requirements: As per respective trades in the above table. However, a selected candidate can be posted to work in any of Divisions / Sections at the discretion of the Competent Authority, CSIR-NML.

CSIR-NML strives to have a workforce that reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply

1. Selection Procedure for Technician-(I)/Group-II (1)

- The candidates as recommended by the Screening Committee will be invited for Trade Test (Qualifying in nature) in the relevant trade/discipline;
- Those who qualify in the Trade Test will be invited for a competitive written examination.

- There will be three papers (Paper-I, Paper-II & Paper-III) in the competitive written examination. The Second and Third paper (i.e. Paper-II & III) will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks (to be determined by the Selection Committee) in the first paper (Paper-I);

1.1 Scheme of Written Examination:

Mode of Examination	OMR Based or Computer Based Objective Type Multiple Choice Examination.
Medium of Questions	The questions will be set both in English and Hindi except the questions on English language.
Standard of Exam	SSC+ITI / XIIth Standard
Total No. of Questions	150
Total time allotted	2 hours 30 minutes

1.2 Paper-I (Time Allotted – 1 Hours)

Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Negative Marks
Mental Ability Test*	50	100 (Two marks for every correct answer)	There will be no negative marks in this paper
* Mental Ability Test will be so devised so as to include General intelligence, Quantitative Aptitude, Reasoning, Problem Solving, Situational Judgement etc.			

1.3 Paper-II (Time Allotted – 30 Minutes)

Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Negative Marks
General Awareness	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
English Language	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer

1.4 Paper-III (Time Allotted- 1 hour)

Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Negative Marks
Concerned Subject	50	150 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer

1.5 Preparation of Merit List:

a. The final merit list will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidates in Paper-II & III of written competitive examination.

b. In the event of tie in scores of candidates in the examination, merit will be decided by applying following criteria, as notified by CSIR vide its Circular Letter No. 5-1(211)/2014-Pd dated 30.05.2023, in the order of precedence given below, till tie is resolved:

i. Candidates with higher marks in the papers of concerned subject/trade placed higher;
ii. Candidates with lesser negative marks, if applicable, in the papers of concerned subject/trade of Written Test placed higher;
iii. Candidates with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher;
iv. Date of Birth, with older candidate placed higher;
v. Candidate acquiring essential educational qualification earlier placed higher;
vi. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.

General Information and Conditions

2. Benefits under Council Service:

A. All New Entrants will be governed by the "New Pension Scheme" based on defined contributions for new entrants recruited in Central Government Services on or after 01.01.2004 and as adopted by CSIR for its employees. The entitlement of pension, if any, at CSIR/CSIR-NML under a particular pension scheme of Government of India in case of persons selected from other Government Departments/autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Central Universities, will be regulated as per the provisions of CCS (Pension), Rules, 1972 (now-2021).

B. The post carries usual allowance i.e., Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) etc. as admissible to the Central Government employees and as made applicable to CSIR. Council employees are also eligible for accommodation of their entitled type as per CSIR Residence Allotment Rules-2022 depending on availability in which case HRA will not be admissible. In case the Director, CSIR-NML so warrants, it will be mandatory on the part of all/any of the selected candidates to stay in CSIR-NML staff quarters.

C. In addition to the emolument indicated above, benefits such as reimbursement of Medical Expenses, Leave Travel Concession, Computer Advance and House Building Advance are available as per CSIR rules.

D. The normal place of posting is CSIR-NML, Jamshedpur. However, the appointee can be posted to work in the units of CSIR-NML located at Digha (west Bengal) and in Chennai [2 posts each unit earmarked also in the advertisement] and can also be posted at any Section/Division in CSIR-NML or in any of Laboratories / Institutes of CSIR including their field centres/regional centres in any part of India on the discretion of the Competent Authority, CSIR-NML.

E. The appointment to the post shall be governed by the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time and other Services Rules, to the extent made applicable to the Council Servant and decision of CSIR as to their applicability shall be final and binding.

3. Other Conditions:

A. The applicant must be a citizen of India.

B. All applicants must possess the essential qualification of the post and fulfil other conditions stipulated in the advertisement. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the minimum essential qualifications laid down for the post which is compulsory even if a candidate has some other higher qualifications**. Enquiries asking for advice regarding eligibility or otherwise also will not be entertained**.

C. The prescribed essential qualifications/experience are minimum. Mere possession of the prescribed essential qualifications/experience does not entitle candidates to be called for the trade test. A duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates to be called for trade test. Applicants should, therefore, mention all the relevant qualification(s) and experience in the relevant area, if any, over and above the prescribed minimum qualification in their application, supported by appropriate documentation. Candidates must ensure that all information provided in the application form are complete and accurate.

D. The Competent Authority, CSIR-NML has the right to amend, delete or add terms & conditions to this advertisement.

E. In respect of the equivalent clause, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, then the candidate is required to produce order/letter in this regard, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated otherwise the application is liable to be rejected. The decision of the CSIR-NML/ CSIR with regard to equivalence of qualification(s) and also about recognition of Universities / Institutes / Boards / Councils etc. shall be final and binding.

F. If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same either in Hindi or in English, duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted along with the Application Form.

G. Date of Birth filled in by the candidate in the online application form must match with the date recorded in Matriculation/Secondary School certificate. Subsequent request for change of date of birth will not be entertained. Candidates can submit School Leaving certificate also, in case the date of birth is not mentioned in the Matriculation/Secondary School certificate. No other document/record will be accepted as a proof for date of birth.

H. Candidate shall not be reimbursed / paid any Travelling Allowance / Daily Allowance for appearing for Trade Test and/or Written Test.

I. The decision of the CSIR-NML/CSIR in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of examination, venue of test(s), date & timing of test(s) will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.

J. **Canvassing in any form and/or bringing any influence, political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.**

K. The Director, CSIR-NML reserves the right to cancel the advertisement without assigning any reason thereof or reserves the right not to fill up the post, if required. The number of vacancies indicated above may vary i.e., it may increase or decrease across all the post codes or any of the post codes, at the time of actual selection. The selection process is subject to the CSIR/GoI instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.

L. The selected candidate will be on **probation for two years** from the date of taking over the charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority.

M. Applicants must disclose as to whether any of their close or blood relatives are employees of CSIR-NML or CSIR or any other Laboratory/Institute of CSIR, in the Application Form.

N. Disqualifications: No person, (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the council service provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

O. Provisional candidature: Mere applying for the post against this advertisement does not necessarily amount to, either explicitly or implicitly, selection being actually made. The candidature for Trade Test and Competitive Written Examination will be accepted only provisionally. The selection will be subject to fulfilling all the terms & conditions of the selection process and satisfying all the CSIR / Government of India instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.

P. Any further information regarding this advertisement like date, time and venue of tests, addendum/corrigendum or any variation in number of post/cancellation of post etc., will only be made available through CSIR-NML website https://nml.res.in Therefore, candidates are advised to keep visiting regularly the websitehttps://nml.res.in.

Q. In case of any variation in Hindi version and English version of this advertisement, the English version shall prevail.

R. **NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE WIL BE ENTERTAINED.**

4. Age Limit & Relaxations:

A. The age limit for the post of Technician (1) / Gr.II (1) is 18-28 years.

B. The upper age limit is relaxable up to 5 years for SC/ST and 03 years for OBC (NCL) as per Government of India orders in force only in those cases where the post is reserved for respective categories, on production of relevant certificate in the prescribed format signed by the specified authority. **Format / Declaration for OBC (NCL) (Annexure-II & IIA); SC/ST: (Annexure-I)]**

C. Relaxation in upper age limit up to 5 years may be allowed to CSIR employees / employees of Government Departments/employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertakings in accordance with the instructions and orders issued by the Govt. of India from time to time.

D. Age relaxation for Widows, Divorced Women and Women judicially separated from Husbands who are not remarried: the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years (upto 40 years for members of SC/ST in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to submit following document along with Online Application form:

I. In case of Widow: Death Certificate of her husband together with an Affidavit that she has not remarried since;

II. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands: A certified copy of the judgement / decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an affidavit in respect of divorced Women that they have not remarried since.

E. Concession / relaxation to Persons with Benchmark Disability

1. Age relaxation for persons with benchmark disabilities (PwBD): Age relaxation of 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC (NCL) candidates, only in those cases where the post is reserved for respective categories) in upper age limit shall be allowed to persons suffering from (a) blindness or low vision (b) deaf and hard of hearing (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness. The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for person with benchmark disabilities or not. The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce a certificate in prescribed proforma in support of their claims clearly indicating that the degree of physical disability is 40% or more. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found medically fit in accordance with the standards of medical fitness as prescribed by the Government of India / CSIR-NML/CSIR for each individual posts.**[Formats for PwBD certificates (Annexure-IV, IVA]**

2. CSIR-NML will consider the suitability of posts for various benchmark disabilities under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, in accordance with THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 106 GI/2021 Notification No. 38-16 / 2020-DD-III dated 04.01.2021 issued by Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice, Govt. of India.

3. Provision of Compensatory Time and assistant of scribe for written examination:

3.1 In case of persons with benchmark disabilities (PwBD) in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy, the facility of scribe / passage dictator is provided, if desired by the candidate.

3.2 In case of remaining categories of persons with benchmark disabilities (PwBD), the provision of scribe will be provided on production of certificate at the time of examination to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at **Annexure-V.**

3.3 The facility of scribe will also be provided to PwBD candidates having disability less than 40% and having difficulty in writing in pursuance to OM No. 29-6/2019-DD-II dated 10.08.2022 issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. The facility will be provided on production of certificate as per **Annexure-VA.**

3.4 The facility of scribes / passage reader will be provided to the PwBD / PwD candidates only if she / he writes an email to this effect to the email id recruitment2025@admn.nml.in 15 days before the test.

3.5 The candidates will have the discretion of opting for his/her own scribe or to avail the facility of scribe provided by CSIR-NML.

3.6 In case the candidate opts for his/her own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. The candidates with benchmark disabilities (PwBD) opting for own scribe shall be required to submit details of the own scribe at the time of examination as per proforma at **Annexure-VI.**

3.7 The candidates with disabilities (PwD) eligible for the scribe as per Para 3.3 above and opting for own scribe shall be required to submit details of the own scribe at the time of examination as per proforma at **Annexure-VIA**. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof in original at the time of examination.

3.8 A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe will be submitted along with proforma at **Annexure-VI/ Annexure-VIA.** If subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the candidate, then the candidate shall forfeit his/her right to the post and claims relating thereto.

3.9 If a candidate opts for his/her own scribe, in that case, that scribe should not be candidate of this examination. If a candidate is detected as assisting another PwBD / PwD candidate as scribe in this examination, then the candidatures of both the candidates, will be cancelled.

3.10 A compensatory time of 20 minutes per hour of examination will be provided to the persons who are allowed use of scribe as described at Para 3.1, 3.2 and 3.3 above.

3.11 The candidates referred at Para 3.1, 3.2 and 3.3 above who are eligible for using scribe but not availing the facility of scribe will also be given compensatory time of 20 minutes per hour of examination.

3.12 No attendant other than the scribe for eligible candidates will be allowed inside the test/exam venue.

3.13 One eyed candidates and partially blind candidates who are able to read the normal Question Paper set with or without magnifying glass and who wish to write / indicate the answer with the help of magnifying glass will be allowed to use the same in the Examination Hall and will not be entitled to a scribe. Such candidates will have to bring their own magnifying glass to the Examination Hall.

3.14 The PwBD/ PwD candidates who have availed the facility of scribes/ passage reader and/ or compensatory time must produce relevant documents for the eligibility of scribe/ compensatory time at the time of test (s) as well as of Document Verification. Failure to produce such supporting documents will lead to cancellation of candidature.

3.15 As per Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), GoI, O.M No. 18-25/2024-Policy dated 17-12- 2025:

(a) Disability conditions categorized as "likely to improve" under the temporary disability category shall not be eligible for reservation;

(b) Disability conditions categorized as "progressive, non-progressice or not likely to improve" under the temporary disability category are to be treated eligible for reservation.

4. All the candidates are required to note that the relaxation/concession mentioned above are applicable in r/o written test for those posts only which are identified suitable for candidates with such physical disabilities as reflected in the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, in accordance with THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 106 GI/2021 Notification No. 38-16 / 2020-DD-III dated 04.01.2021 issued by Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice, Govt. of India.

F. Concession / relaxation in case of ex-servicemen

1. Relaxation in upper age limit is available to ex-servicemen (ESM): 03 years after deduction of the military service rendered form the actual age as on closing date of receipt of online application.

2. Ex-Servicemen who have already secured employment in civil side under Government in Group C&/or D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment, are not eligible for reservation in ESM category and fee concession.

3. However, such candidates can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for subsequent employment if he/ she immediately after joining civil employment, has given self-declaration / undertaking to the concerned employer about the date wise details of applications for various vacancies for which he had applied for before joining the initial civil employment as mentioned in the OM No. 36034/1/2014-Estt (Res) dated 14th August 2014 issued by DoP&T.

4. The period of "Call up Service" of an Ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation as per rules.

5. For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, s/he must have already acquired, at the relevant time of submitting his/her application for the Post/ Service the status of ex-servicemen or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the closing date for receipt of applications. Such candidates must also acquire the status of an ex-serviceman within the stipulated period of one year from the closing date of receipt of application.

6. The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time and the instructions issued by the Government vide DoP&T OM No. 36012/3/2021-Estt. (Res.II) dated 27.02.2023, which provides, inter-alia, as under: - "Candidates working in the Armed Forces would become eligible for applying Civil posts only when he completes the prescribed period of Armed Forces Service within a year from the last date of receiving application in connection with Special Recruitment/Examination, etc., prescribed by the Competent Authority. Provided, when selection process takes more than one year, from the last date of receiving of applications, the candidate will not be declared ineligible under Ex-servicemen category only on the ground that he has got himself released from Armed forces after one year from the last date of receiving of application. "Such candidates are also required to be in possession of the prescribed certificate and the Undertaking as at Appendix-V (A) and V(B) [Annexure-VIII & IX of this advertisement] of the Rules, by the closing date of the receipt of online application.

7. Explanation: An "ex-serviceman" means a person:

7.1. Who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union, and;(i) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his pension; or (ii) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or (iii) who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or

7.2 Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity, and includes personnel of the Territorial Army namely, pension holders for continuous embodies service or broken spells of qualifying service; or

7.3 Personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension; or

7.4 Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987; or

7.5 Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or

7.6 Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. A matriculate Ex-Serviceman (Which includes an Ex-Serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on closing date of receipt of applications with the Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group "C" posts against posts reserved for Ex-Servicemen only. Thus, those matriculate Ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date for receipt of applications are not eligible for these posts.

G. SC/ST/OBC [NCL]/EWS/PwBD/Ex-servicemen candidates are required to submit a copy of the certificate in the prescribed format signed by the specified authority valid for appointment of posts under the Central Government, along with the online application. The original certificates are to be produced as and when asked for by the Competent Authority, CSIR-NML for verification. The candidature/ appointment of candidate shall remain provisional till the veracity of all these certificates are established.

H. Relaxation claim, if any, for any other category in upper age limit: As per instruction of GoI and as adopted by CSIR.

I. A person seeking appointment on the basis of reservation of EWS must ensure that he/she possesses the Income & Asset certificate valid for the financial year 2026-2027 issued on the basis of Income for the financial year 2025-26 in accordance with the DoP&T OM No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019. **[format for EWS certificate(Annexure-III)]**

The cut-off date for determining the upper age limit, qualifications, experience and validity of other certificates also shall be the last date of receipt of online applications.

5. How to Apply:

CANDIDATES ARE ADVICED TO GO THROUGH THE INSTRUCTIONS FOR APPLYING ONLINE AVAILABLE IN ONLINE APPLICATION PORTAL ON CSIR-NML WEBSITE:
https://nml.res.in

A. Eligible and interested candidates are required to apply ONLINE only through CSIR-NML website. The link for ONLINE APPLICATION will be available on CSIR-NML's website i.e https://nml.res.in from 15.12.2026 (10.00 AM) to 08.01.2027 (05:00 PM). No other mode of application will be accepted. URL for application portal is **https://tiru.ngri.res.in/nml_tech/**

B. Candidates are required to submit only one application against one post code for being considered for all the posts thereunder. If a candidate wants to apply against multiple post codes, he / she is required to submit separate application against each and to pay the application fee for applications against each of the post codes separately, as per applicability. However, the registration is required to be done only once. Two or more applications by a candidate against any one of the post codes may lead to cancellation of candidature of such candidate.

C. Candidates are advised to submit Online Application Form well in advance, without waiting for the last date/time to apply. CSIR-NML will not be responsible for non-submission of application form and/or payment of application fee, for any reason whatsoever.

D. Candidate are required to have a valid and active personal email ID which must be kept active till the completion of this recruitment process. This e-mail ID is required to be mentioned in the online application form. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID before applying online.

E. The candidates are also required to scan and upload his/her latest [not older than three months] passport size colour photograph as well as his/her full signature at specified places in Online Application Form.

F. The photograph [without cap, goggles and face with both ears visible from front; (size not more than 50 KB] and the signature of the candidate [with black ink on plain white paper; size not more than 30 KB] must adhere to the required specification. The signature must not be in block letters.

G. Candidates are required to pay **application fee of Rs.500/-** (five hundred only) by clicking the link provided in the online application through SB Collect (kindly click on SBI Collect for online payment) ⟹ (Select any Category ⟹ Select type of Application fee ⟹ Type of Application ⟹ Regular Appointment]. The candidates who are SC/ST/PwBD/Women/CSIR Employees/only those ESM who are eligible for reservation, are exempted from payment of application fee. On making payment, the receipt generated should be preserved for future reference.

H. In case of Universities/Institutes/Boards/Councils awarding CGPA/SGPA/OGPA grades etc., candidates are requested to convert the same into percentage based on the formula as per their University/Institute/Boards/Councils and mention accordingly in online application form at the specified places.

I. After submission of ONLINE APPLICATIONS, Applicants shall preserve the computer-generated applications for future reference. No hard copy of the online application or any of its enclosures is required to be sent/submitted.

J. Application once submitted shall not be allowed to be withdrawn and fees paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.

K. Applications from candidates working in Government Departments /Autonomous Bodies /Public Sector Undertakings / Local bodies will be considered along with NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) from present employers. In case, the candidate could not attach the requisite NOC, he/she can enclose the self-attested copy of the request submitted by her/him to the present employer seeking NOC for her / his application against this advertisement. Such candidates must produce the requisite NOC as and when sought by CSIR-NML failing which his/her candidature will be terminated forthwith. The vigilance clearance should also be recorded in the said NOC.

L. The online application(s) without signature, photograph and application fee (if applicable) etc., without self-attested documents in support of all the claims made in the application form, also in case of signature, photograph and any of the uploaded documents being blurred, will not be entertained and will be summarily rejected.

Helpline Email ID in case of any technical problem/issue while filling up Online Application Form is **recruitment2025@admn.nml.in**

M. All further announcements regarding names of shortlisted candidates, date, time and venue of tests etc. /other details pertaining to this recruitment process/updates/corrigendum/addendum etc. will be published/provided only on CSIR-NML official website https://www.nml.res.in from time to time.

N. The following documents are required to be scanned [as a pdf file of not more than 3 MB each] and attached along with online application:

i. SSC/10th / Matriculation / Secondary certificate & marks sheet;
ii. ITI certificate in the concerned trade or two years apprentice trainee certificate in the concerned trade or three years work experience certificate in the concerned trade in a Ministry / Department / Organization / Public Sector /Undertaking/Autonomous Body under Government of India/State/UT
iii. Copy of exam fee payment receipt if any;
iv. Other Educational Qualification Certificate/s;
v. Order/ letter in respect of equivalence in Qualification(s) claimed, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, in respect of equivalent Clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification;
vi. Caste/ Category Certificate, if belongs to reserved categories (SC / ST / OBC (NCL) / EWS)
vii. Persons with Benchmark Disabilities Certificate in the required format, if applicable
viii. For Ex-Servicemen (ESM):
(a) Undertaking as per **Annexure-VIII**
(b) Serving Defence Personnel Certificate as per **Annexure-VII**, if applicable
(c) Discharge Certificate / PPO, if discharged from the Armed Forces
ix. Any other relevant certificate if seeking any age relaxation
x. No Objection Certificate, in case already employed in Government Department / Government undertakings / Autonomous Bodies / CSIR or its Labs / Institutes.
xi. A candidate who claims change in name after matriculation on marriage or remarriage or divorce, etc. the following documents are also required to be submitted along with online application:

(a) In case of marriage of women: Photocopy of Husband's passport showing names of spouses or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from husband and wife along with a joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;

(b) In case of re-marriage of women: Divorce Deed/Death certificate, as the case may be, in respect of first spouse; and photocopy of present husband's passport showing names of spouse or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from the husband and wife along with joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;

(c) In case of divorce of women: Certified copy of Divorce Decree and Deed Poll/ Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner;

(d) In other circumstances for change of name for both male and female: Deed Poll/Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner and paper cuttings of two leading daily newspaper in original (One daily newspaper should be of the area applicant's permanent and present address or nearby area) and Gazette Notification.

6. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information while submitting online application. At the time of examination/test or in a subsequent selection procedure, if a candidate is (or has been) found guilty of-

a. Using unfair mean; or
b. Impersonating or procuring impersonation by any person; or
c. Misbehaving in the examination/ test venue or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the test(s) or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose; or
d. Resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature; or
e. Obtaining support for his/ her candidature by unfair means; or
f. Carrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the examination/test venue;

such a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:

(i) to be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate
(ii) to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by the CSIR and its lab/institutes
(iii) for termination of service, if he/ she already joined the service.

g. The Competent Authority, CSIR-NML may also report the matter to Police/ Investigating Agencies, as deemed fit and may take appropriate action as well to get the matter examined by the authorities/ forensic experts concerned.

Sd/-
Controller of Administration

Annexure-I

FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter of _____ of village/town* _____ District/Division *_____ of the State/Union Territory* _____belongs to the Caste/Tribes*_____ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

@The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
@The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
@The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 *
@The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area (Reorganization) Act, 1971; the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order (Amendment Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

@The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
@The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976.
@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.
@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962.
@The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964
@The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
@The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968
@The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968
@The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978
@The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989
@The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990
@The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991
@The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991
@The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act, 2002
@The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act, 2002
@The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Act, 2002
@The Constitution (Scheduled Caste) Orders (Second Amendment) Act, 2002
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari*_____of village/town*_____ in District/Division* _____of the State/Union Territory*_____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the_____dated_____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari_____ and /or* his/her family ordinarily reside(s) in village/town*_____ of _____ District/Division* _____of the State/Union Territory of _____

Signature_____
** Designation_____
(with seal of office)
State/Union Territory*

Place_____
Date_____

* Please delete the words which are not applicable
@ Please quote specific presidential order
% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates:

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/+Sub-Divisional Magistrate/ /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/ Extra-Assistant Commissioner
+(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep).

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Annexure-II

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____son/daughter of _____ of village/town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____*. Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No.36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**.

Signature……

Designation……..……..

Dated:

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate's is mentioned as OBC.

**- As amended from time to time.

$- List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled caste/ Scheduled Tribe Certificates.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Annexure-IIA

Form of declaration to be submitted by the candidate (in addition to the community certificate)

I…….....…....……son/daughter of Shri…….....……..resident of village/town/city…….…….district ……..….State……..….hereby declare that I belong to the ….,community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93- Estt(SCT) dated 8.09.1993. It is also declared that I have read and understood the instructions contained in the said DoP&T OM dated 8.09.1993, and OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13.09.2017 and I have reasons to declare that I do not fall under OBC (Creamy Layer) category on the basis of income for the immediate preceding three financial years.

Signature…….…….

Full Name….……

Address…….……

Annexure-III

Government of .....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date _____

VALID FOR THE YEAR_____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____son/daughter/wife of _____permanent resident of _____, Village/Street_____PostOffice_____District_____in the State/ Union Territory_____Pin Code_____whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/ her 'family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____ His/ her family does not own or possess any of the following assets ***:

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari_____belongs to the _____caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Recent Passport size attested photograph of the applicant

Signature with seal of Office_____
Name_____
Designation_____

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.
** Note 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Annexure-IV

Form-V
Disability Certificate
(In cases of Single Disability)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disabilitv.

Certificate/UDID No. Date of Issue:

This is to certify that I/We have carefully examined <Name of the Applicant>, Son/Daughter/ Care of <name of father mother/guardian>, Date of Birth (DD/MM/YY), Gender <Male/Female/Transgender>, Registration No. <UDID Enrolment No.> Resident of <address of PwD> whose photograph is affixed above, and I am/we are satisfied that: Resident of whose photograph is affixed above, and I am/we are satisfied that:
(A) He/She is a case of (Any one of the following disabilities):

i. Locomotor disability
ii. Muscular Dystrophy
iii. Leprosy cured
iv. Dwarfism
v. Cerebral Palsy
vi. Acid attack Victim
vii. Low vision
viii. Blindness
ix. Hearing Impairment
x. Speech and Language disability
xi. Intellectual Disability
xii. Specific Learning Disability
xiii. Autism Spectrum Disorder
xiv. Mental illness
xv. Chronic Neurological Conditions
xvi. Multiple sclerosis
xvii. Parkinson's disease
xviii. Haemophilia
xix. Thalassemia
xx. Sickle Cell Disease

(B) Name of the affected body part:

(C) The diagnosis in his/her case is _____

(D) He/She has _____ % (in figure) _____ percent (in words) disability and the nature of certificate is {Permanent/temporary and valid till (DD/MM/YYYY)} as per the guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide <Notification No> dated (DD/MM/YYYY).

Signature/thumb impression of the Person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Member(s):

Signature:

Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate

Annexure-IVA

Form – VI
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
[See rule 18(1)]

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No./UDID No. Date:

This is to certify that we have carefully examined <Name of the Applicant>, Son/Daughter/Care of <write name of father/mother/guarding>, Date of Birth (DD/MM/YY), Gender <Male/Female/Transgender>, Registration No. <UDID Enrolment No.> Resident of <address of PwD> whose photograph is affixed above, and we are satisfied that:

(A) He/She is a case of **Multiple Disabilities**. His/her extent of physical impairments/disabilities have been evaluated as per the guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide <Notification No> dated (DD/MM/YYYY) for the disabilities below:

Sl. No	Disability	Name of the Affected part of body	Diagnosis	disability Percentage
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Hearing Impairment	£		
10.	Speech and Language disability	£		
11.	Intellectual Disability			
12.	Specific Learning Disability			
13.	Autism Spectrum Disorder			
14.	Mental illness			
15.	Chronic Neurological Conditions			
16.	Multiple sclerosis			
17.	Parkinson's disease			
18.	Haemophilia			
19.	Thalassemia			
20.	Sickle Cell Disease			

(Note: Only the disabilities diagnosed will be listed)

(B) He/she has _____% (in figure) _____percent (in words) disability and the nature of certificate is [Permanent/temporary and valid till (DD/MM/YYYY)}

Signature/thumb impression of the person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Members:

Signature:
Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate:

Annexure-V

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs.....(name of the candidate with disability), a person with.....(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/ D/o.....a resident of ..... Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her disability.

Signature
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government health care institution
Name & Designation
Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:
Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual Impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/PMR)

Annexure-VA

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs ……. (name of the candidate), S/o /D/o ……, a resident of ……(Vill/PO/PS/District/State), aged …….. yrs, a person with ……. (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.
3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic / PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist(if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson(if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer……Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Annexure-VI

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I _____, a candidate with _____(name of the disability) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No_____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____(name of the State/ UT) My qualification is _____

I do hereby state that _____(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination

I do hereby undertake that his/ her qualification is _____ In case, subsequently it is found that his/ her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:

Annexure-VIA

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____(name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)
(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

Annexure – VII

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) _____ (Rank) _____ (Name) _____ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) _____.

(Signature of Commanding Officer)
Office Seal

Place:

Date:

Annexure-VIII

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I ……., bearing Roll No……., appearing for the Document Verification of the ……. Examination, 20……., do hereby undertake that:

a. I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.

b. I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or

c. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined as ……on……..... in the office of …… I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or

d. I have already availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined as ……on…… in the office of ……. Therefore, I am not eligible for the benefit of reservation provided to ex-servicemen;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature: .....
Name: …….
Roll Number: .....
Date: …….
Date of appointment in Armed Forces: …….
Date of Discharge: …….
Last Unit/ Corps: …….
Mobile Number: …….
Email ID: …….